
Minerals3 - Mineral Royalty for Citizens and Military law-draft

सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयलिटी

(हिंदी अनुवाद अंग्रेजी ड्राफ्ट बाद दिया है)

.

[comments are not part of the law-draft and are not binding on any ministers, officer judge etc and may serve as guideline to voters, activists and Jurors.]

.

[comment-01 -- CAMPAIGN STEPS : a public request to all voters and activists is --- if you support this law-draft and if you wish PM to print this law-draft, then you are requested to take following CAMPAIGN STEPS

.

(1) Please **vote at <https://newindia.in/causes/Minerals3>** . using your mobile phone . <https://newindia.in> is a central govt website meant for opinion gathering, in a way that PMO can know actual real voter supporter count.

.

(2) Please tweet “@PmoIndia newindia.in/causes/Minerals3 #Minerals3”

.

(3) Please also **send postcard to Prime Minister, New Delhi - 110001 with words ‘ newindia.in/Minerals3 #Minerals3 ’** and also write your voter number, name, address. Signature is not necessary. You may or need not write additional message. For crores of voters, who have no twitter / internet, and don't know how to use OTP etc, postcard is the ONLY way to communicate to PmoIndia. And so ALL voters and activists are requested to send postcard with above message to print Minerals3-law-draft.

.

(4) Pls make a video asking all friends to take above 3 steps and share the video on whatsapp. And using fb/whatsapp, pls ask all to take above 3 steps. Please also vote at <https://change.org/p/PmoIndia-Minerals3>.

if over 50 crore voters take one of the above 3 steps, then chances that PM will print the law in Gazette increases.]

.

[comment-02 : summary of the law (pls note - this is summary, and not part of the draft, and not binding on anyone, and it isnt a promise either.)

.

(a) Say this proposed law is printed in Gazette by PM say in jan-2019. Say mineral royalty , spectrum royalty and land rent from government owned plots in the month of say feb-2019 is say Rs 210000 crore. Then as per this law-draft, after it is printed in Gazette, about Rs

70000 crore in march-2019 will be given for the budget of Military. And about Rs 140000 crore will be divided almost equally amongst 90 crore adult citizens of India i.e. each citizen will get around Rs 1550 rupee in march-2019.

.
(b) But if mineral royalties and land rent in next month were say Rs 150,000 crores, then each adult citizen may get about Rs 1100.

.
(c) So this law does NOT gurantee any fixed monthly sum to each citizen. Every month, all citizens will get DIRECT DEPOSITS from money that govt gets from mineral royalties, spectrum royalties and land rent from all the govt plots. This law-draft may reduce poverty to near zero level within just 3 to 6 months.]

.
[comment-03 : This Minerals3 law-draft can be printed by PM as Gazette Notification. No permission of Loksabha or Rajyasabha is needed.]

.
[comment-04 : This draft has 3 parts -

.
Part - I : Basic instructions for citizens

.
Part - II : A summary of the law-draft

.
Part - III : Instructions for Citizens, Officers and comments

.
Important clauses are – (1.1) , (1.2) , (1.3) , (3.1) , (3.2) , (J.1) , (J.3.6), (RTR.2) , (RTR.4) , (CV.1)]

.

Part - I : Basic instructions for citizens

.
(1) Some basic instructions for citizens are as follows

.
(1.1) Within 2 months these law-draft is printed in Gazette by PM, a large portion of the money, coming to Central Govt of India as [(a) royalty for minerals + (b) royalty of spectrum + (c) land rent from land owned by Central Govt], divided by number of citizens of India, will directly get deposited into your bank account (you means adult Indian citizen voter).

.
(1.2) To be more accurate, about 65% of money coming to Central Govt of India, from royalty of minerals, royalty of spectrum and land rent from land owned by Central Govt, will be divided amongst all citizens of India, almost equally. And this amount will be deposited directly into your bank account every month. The remaining 35% will be spent exclusively to improve Military.

(1.3) Money each citizen of India will get will be almost equal, but can vary depending on age, number of sons and daughters he (or she) has, and physical or mental disability. More the number of children he has born after passing of this Act, lesser will be the amount he or she will get. And in some cases, persons residing in a state may get a higher for minerals and land in their state, but it will not exceed twice the amount citizens across are getting. And citizens in areas which have hostile borders and citizens living in remote areas may also get a higher share. But that apart, all citizens will get almost equal share in money coming to Central Govt

•
(1.4) The PM shall appoint an officer titled as NLRO (= National Land Rent Officer) who will establish auctions and other procedures to decide the royalties / rents and collect royalties / rents and deposit 65% of royalties almost equally in accounts of all you citizens of India. If you want to replace NLRO with anyone other person, then this law will allow you to approve at most five persons for the position of NLRO by visiting Patwari office or via SMS. And you may cancel the approvals anyday. And later, the system will enable you to specify marks between 0 to 100 for each NLRO candidate. The change in NLRO will happen when a candidate has more approval than existing NLRO..

•
(1.5) NLRO will have several govt employees across India, to decide, collect royalties / rent and deposit into accounts of all you citizens. In case, there is a complaint against an employee, then Jury of 25 to 1500 voters in district or state or whole of India may be selected at random. This Jury will be asked to decide if the employee is innocent or not, and if he is not innocent, then what should be fine on him, and whether he should be expelled or not. You (citizen) will have to attend his Jury trial, if your name comes in the list of 25 to 1500 voters selected at random.

•
(1.6) This law does NOT cover royalties over waters or distribution of waters.

•
(1.7) This law does not give any guarantee that you will get Rs 500 per month or Rs 1000 per month or any fixed guaranteed amount. If market prices of minerals / spectrum rise or if market price of land rises, then royalties and rents may rise, and net amount received by Govt and all you citizens may increase. But if the mineral royalties and rents decrease, then monthly income of all you citizens will decrease.

•
(1.8) This law applies only on the mineral mines and minerals that come under Central Govt, and spectrum and land that comes under Central Govt. This law will NOT cover mines and plots under State, Municipalities and District / Tahsil / Gram Panchayats. The CMs,

Mayors and Panchayat Sarpanchs may or need not print a similar law to divide royalties and rents coming from minerals / plots owned by State / City / District / Tahsil / Gram amongst the citizens in that State / City / District / Tahsil / Gram.

.
.

Part – II : A summary

.
.

(2) Comment :

.
(2.1) This summary is not binding. It is only a declaration, giving an approximate vision of what this law may be.

.
(2.2) This law will enable PM to appoint an officer titled as NLRO = National Land Rent Officer. The voters of India may replace NLRO using Right to Recall NLRO clauses given in this act.

.
(2.3) NLRO shall hold auction over all mineral mines across India and also hold auction to distribute bandwidths. NLRO will also hold auctions to rent land owned by Central Govt. NLRO will do the plotting and decide the length of the lease on all the plots.

.
(2.4) NLRO will collect the royalties and rent every month from every individual or company which has leased mineral mines or spectrum or govt plot. NLRO will have no powers over waters.

.
(2.5) NLRO shall deposit the amount collected across India every month into bank accounts of all adult citizens of India. All citizens will get almost equal amount, but amount may vary based on age, number of sons and daughters he or she has, disability etc. The details of distribution ratio is given the later clauses.

.
(2.6) If there is complaint against NLRO staff, then Jury of 12-1500 citizens chosen at random from voter list will decide if the employee should be fined or expelled or not punished at all.

.

Part – III : Instructions for Citizens, Officers and comments

.
.

(3) Ownership of plots under Govt of India

.
(3.1) The Citizens of India hereby decide and declare the plot of IIMA, plots of all IIMs and the plot of JNU as the property jointly and equally owned by the Citizens of India. These plots are NOT property of the State or the State of India or the Union of India or

any other private/GoI party, but these plots are property of the Citizens of India. Further, all the plots of all UGC funded universities and colleges not owned by private companies or trusts are declared as the property of the citizens of India. All the officers and judges of India, including the PM, all the High Court judges and all the Supreme Court judges, are hereby requested NOT to admit any plea that opposes this decision and verdict of the Citizens of India.

.
(3.2) All plots under following Ministries/Dept will come under NLRO :

- (1) IIMs, all UGC funded colleges and universities except those teaching science, medicine, mathematics and engineering
- (2) Airports, all buildings owned by Air India and Indian Airlines
- (3) Ministry of Tourism and Culture
- (4) Ministry of Information and Broadcasting
- (5) Ministry Consumer Affairs and Public Distribution
- (6) Ministry of Human Resource Development
- (7) Ministry of Information Technology
- (8) Ministry of Rural Development
- (9) Ministry of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries
- (10) Ministry of Social Justice and Empowerment
- (11) Ministry of Textiles
- (12) Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation
- (13) Ministry of Youth Affairs and Sports
- (14) National Human Rights Commission (NHRC)
- (15) Niti Aayog

.
(3.2.1) NLRO will have NO jurisdiction over land plots owned by private persons or companies or trusts or land plots owned by State Govt or Cities or Districts. He will have no jurisdiction on plots used by Military , Courts, Prisons, Railways, Bus Stations, Govt Schools till class XII and tax collection offices.

.
(3.3) All medical colleges, IITs, NITs, engineering colleges, IISc, science and maths colleges shall be made part of Health Ministry or Defense Ministry or Science Ministry, as decided by PM. The Minister shall appoint Chairman in these colleges to run the day today operations. All colleges teaching medicine, science, maths and engineering will not come under NLRO.

.
(4) Collection of rents from GoI owned plots

.
(4.1) For the unused land, NLRO will divide the land in plots of appropriate sizes as he seems appropriate. NLRO will hold auction for each plot. The conditions for auction will be

- (1) The lease will be for 5, 10, 15 , 20 or 25 years as decided by NLRO. The lease cannot be more than 25 years.
- (2) The bidders will give bids for monthly rent and bidding period

which can be less than maximum lease period. So bids will be in (monthly rent , months lease) format. One person can submit multiple bids. Minimum lease period must be 12 months.

- (3) The weight of the bid will $\text{Monthly_Rent} / \log(\text{Lease_In_Months})$. i.e. more the rent, higher the weight and longer the lease, lesser the weight.
- (4) The bids will be open and all bids will be visible to all.
- (5) The NLRO will give the plot as per weight of the bids.
- (6) NLRO will charge 6 months rent or collateral as deposit.
- (7) the tenant will be free to evacuate land any day and stop paying any rent

(4.2) During the lease time, NLRO will revise the rent every 3 years based on % change in the land prices in the 1 sq km area around that plot and % change in prime lending interest rate from the day the plot was leased and the day when rent revision occurs.

(4.4) After the lease time is over, NLRO will hold a fresh auction, where in existing lease holder will get benefits

- (1) his weight will get multiplied by 1.1 to 1.5 depending on number of years he has paid rent.
- (2) he may increase his bid within 3 months after auction is over.
- (3) the existing lease holder will get 20% to 50% the 6 months' advance rent new lease holder is paying depending on number of months he had held the land.
- (4) But if existing lease holder loses the auction, then he can move or sell the fixtures on that land. But he will need to vacate that land.

(4.5) If the plot is held by an existing entity, the entity will get 25% plus $(25\% * \text{lease in months} / 300)$, maximum of 50% , bonus in the bid i.e. its bid will be multiplied with 1.25 to 1.50 , but no more.

(4.6) If the plot is currently being used and occupied , NLRO will take the mean land price in past 3 years of sale in 1 km area round the plot and decide the price of plot and set $(\text{market_price} * \text{prime_interest_rate}/3)$ as yearly rent for next 10 years. The rents will be revised every 3 years. After 10 years, rules stated from clause-1 onwards of this section will apply

(4.7) NLRO will give 34% of rent collected to Defense Minister for the purpose of strengthening Military and providing weapons and weapon-use education to all citizens.

(4.8) NLRO will distribute rent and royalties as follows

- (1) NLRO will dispatch 33% of the rent collected every month to the citizens residing in the State for past 10 years with limit of twice the amount received by citizens of India in last year.
- (2) NLRO will dispatch rest of rent collected every month to citizens of India.

- (4.9) One year after this law-draft is passed, the rent a person obtains will change as follows :
 - (1) if has (0 sons), (0 son, 1 daughter), (0 sons, 2 daughters) , it will be 33% more and will be 66% more after he is 60 years
 - (2) if he has (1 son, 0 daughter), (1 son, 1 daughter), (1 sons, 2 daughters), it will be 15% more and will be 33% more after he is 60 years
 - (3) if he has (2 sons, 0 daughter), (2 sons, 1 daughter), it will be same – no increase and no decrease
 - (4) if he has (2 sons, 2 daughters) or (3 sons , 1 daughter) , the rent will be 33% less
 - (5) if he has more children than above mentioned cases, then he will get 66% less rent
 - (6) Here, twins will count as one child, and adopted children will not count.

- (4.7) The rent paid will be 33% higher for men above 60 and women above 55 ; and will be 66% higher for men above 75 and women above 70.

- (4.8) No rent shall be paid to child below 7 years ; the rent to citizens between 7 to 14 will be 1/rd the normal and between 14 and 18 will be 2/3rd of the normal rent paid. . The rent for children below 14 years will be given to the mother, unless a Jury has instructed NLRO to give it to father or other relative or mother has passed away.

- (4.9) Further, if a Jury has found that husband with one or more child is uncaring, then Jury can instruct NLRO to give half the rent to be obtained by the father to the mother. In such case, NLRO will give half the rent to father and other half to the wife.

(5) Collection of Mineral Royalties

- (5.1) All Dept Secretaries All the Department Secretaries who are in-charge of mines or crude oil wells or collecting royalties from mines or crude oil wells are ordered to send the royalties collected to NLRO

- (5.2) The NLRO shall divide the royalties amongst Military, the citizens residing in the State and citizens of India in the same ratio as Land Rent described in the clauses dealing with distribution of Land Rent

(J) - Jury Trial over Employees of NLRO or decisions of NLRO

- (J.1) Wherever there is dispute between NLRO or his officer and lease owner or citizen, NLRO or his officers will form a Jury of 12 to 1500

citizens between age of 30 years and 55 years chosen at random to decide the case. This section gives rules of formation of the Jury.

·
(J.2) NLRO will appoint a Jury Administrator for each District called as DJA = District Jury Administrator, and one Jury Administrator for each State called as SJA = State Jury Administrator, and one Jury Administrator for India called as NJA = National Jury Administrator

·
(J.3) Resolving a dispute of royalties / rent / deposits

·
(J.3.1) A dispute between a lease holder or citizen or NLRO's officer will be filed in district in which property is located or citizen is located. If the citizen or the lease holder or officer wants to change the venue to a district in same state, then may get order from SJA or State High Court. And if either of the two wish to change venue to a district in India outside the State , then he may get order from NJA or Supreme Court.

·
(J.3.2) For every dispute in district, the DJA = District Jury Administrator will randomly select 3 to 10 Graduates in Maths, Science or Engineering, from a list of Graduates who have agreed to provide assistance in cases. The Engineers selected must be between the age of 30 years and 55 years, and must have 5 years of work experience.

·
(J.2.3) DJA will randomly select voters from voter list of India between age of 30 years and 55 years. The person must not have appeared in any Jury in past 10 years and must not have faced any conviction in past.

·
(J.3.3) Number of Jurors :

- (1) The number of Jurors will be at least 12 and at most 1500. The number of Jurors will be 12, 50, 200 or 500 depending on whether the employee accused is class-IV, class-III, class-II or class-I.
- (2) Size of Jury will be 12 if amount in dispute is below Rs 10 lakh. And there will 1 extra Jurors for every Rs 10 lakhs.
- (3) If the complaint involves amount as well as it is against an officer, then Jury size will be higher of (a) or (b).
- (4) The highest size will be 1500 Jurors

·
(J.3.4) Location of Jurors : The Jurors will be selected from Districts whose District Courts are linked via video conferencing to districts where trial is being run. In the district isn't connected with any district via video conferencing, then all Jurors will be from District where the case is filed.

·
(J.3.5) The Jurors will hear both sides for 1 hour each. The trial will end after over 65% of Jurors say that they have heard enough

.
(J.3.6) If over 75% of Jurors say that the Employee against whom complaint is made should be dismissed, then NLRO may or need not dismiss him. If over 75% of Jurors agree on a fine, then NLRO may or need not collect that fine from the accused. If the complainer believes that NLRO has not executed the judgment of the Jurors, then he may ask voters of India to expel NLRO using “Right to Recall NLRO” clauses mentioned in the later clauses.

.
(J.3.7) Appeal against judgment of District Jurors can be filed with Jurors or Judges in State High Court and later with Jurors or Judges in Supreme Court as decided by other prevailing laws

.
(RTR) Right to Recall NLRO

.
(RTR.1) If any citizen of India wishes to become NLRO, and he appears in person or via a lawyer with affidavit before DC (DC = District Collector of District where he is voter), then DC would accept his candidacy for NLRO after taking filing fee same as deposit amount for MP election. And DC will issue a serial number unique across India.

.
(RTR 2) If a citizen comes in person to his Talati's office, pays Rs 3 fee, and approves at most five persons for the NLRO position, then the Talati would enter his approvals in the computer and would give him a receipt with his voter-id#, date/time and the persons he approved. The Talati will put the preferences of the citizen on PM's website with citizen's voter-ID number and his preferences

.
(RTR.3) If a citizen comes to cancel his Approvals, the Talati will cancel one or more of his approvals without any fee

.
(RTR.4) If a candidate gets approval of over 43 crore citizen-voters in India, then PM may or need not expel the existing NLRO and may or need not appoint the person with highest approval count as NLRO. The decision of PM will be final

.
(RTR.5) PM may create a system whereby citizen can file\cancel approvals using SMS or mobile phone apps or via ATMs.

.
(CV) CV : Citizens' Voice:

.
(CV.1) If any citizen residing anywhere in India wants any change in this law or has any complaint under this law, then he may submit an affidavit to DC's designated clerk and clerk will scan the affidavit and put on CM's website along with photo and details of the citizen. The clerk will charge Rs 30 per page. The clerk will issue serial number for the affidavit.

.
(CV.2) If any citizen residing in the area covered by the Patwari wants to register his YES / NO on the affidavit submitted in above clause, then he can go to Talati's office and provide the serial number of the affidavit and his YES/NO on a form, and Patwari will enter his YES/NO for a fee for Rs 3 . The YES/NO shall come on CM's website along with citizen's voter-id, name, date etc

.
----- end of Minerals3 law-draft -----

.
(हिंदी अनुवाद अंग्रेजी ड्राफ्ट बाद दिया है)

[टिप्पणियां इस क़ानून ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं हैं , तथा ये टिप्पणियां मंत्रियों , अधिकारियों , जजों आदि पर बाध्यकारी नहीं हैं। इन टिप्पणियों का उपयोग मतदाता , कार्यकर्ता एवं ज्यूरी सदस्य अबाध्यकारी निर्देशों कि तरह कर सकते हैं]

[टिप्पणी - 01 : देश भर के सभी कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं से आग्रह है कि -- यदि आप इस **Minerals3** क़ानून ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं तो इस क़ानून ड्राफ्ट को गेजेट में प्रकाशित करने कि सम्भावना बढ़ाने के लिए निचे दिए गए चरणों का पालन करें।

(1) कृपया अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए

<https://newindia.in/causes/Minerals3> पर वोट करें। newindia.in केंद्र सरकार की वेबसाइट है जिस पर नागरिक प्रधानमंत्री के समक्ष अपना सुझाव रख सकते हैं, रखे गए सुझावों पर वोट कर सकते हैं . तथा प्रधानमंत्री यह पता लगा सकते हैं कि कितने वास्तविक मतदाताओं ने किसी सुझाव को समर्थन दिया है।

(2) कृपया अपने ट्विटर एकाउंट से यह ट्विट भेजें -- “ @PmoIndia [#Minerals3](https://newindia.in/causes/Minerals3) “

(3) कृपया "प्रधानमंत्री कार्यालय , नई दिल्ली - 110001" पते पर एक पोस्टकार्ड भेजें। पोस्टकार्ड पर '[#Minerals3](https://newindia.in/Minerals3) ' लिखें। और अपना नाम , मतदाता पहचान संख्या, पता लिखें। पोस्टकार्ड पर आप इसके अतिरिक्त अन्य कोई सन्देश लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। हस्ताक्षर आवश्यकता नहीं। जिन करोड़ों नागरिकों के पास स्मार्ट फोन एवं इंटरनेट नहीं है , उनके पास प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांग रखने का एक मात्र तरीका यह है कि वे पोस्टकार्ड भेजें। अतः सभी नागरिकों को अपनी मांग पीएम के सम्मुख रखने के लिए पोस्टकार्ड भेजना चाहिए।

(4) कृपया अन्य नागरिकों को भी उपरोक्त 3 चरणों के बारे में सूचना देने के लिए एक वीडियो बनाये एवं इसे फेसबुक/व्हाट्स एप आदि पर शेयर करें। कृपया <https://change.org/p/PmoIndia-Minerals3> पर भी वोट करें।

(5) यदि 50 करोड़ मतदाता उपरोक्त दिए गए तीन चरणों में से कोई एक चरण का भी पालन करते हैं तो यह सम्भावना बढ़ जायेगी कि प्रधानमंत्री इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित कर दें।]

[टिप्पणी - 03 : प्रस्तावित क़ानून का सार (कृपया ध्यान दें कि -- यह सिर्फ़ इस ड्राफ़्ट का सार है , एवं यह क़ानून ड्राफ़्ट का हिस्सा नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं है और न ही यह किसी प्रकार का कोई वचन है।

(a) मान लीजिये कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह क़ानून जनवरी-2019 में गेज़ेट में छाप दिया जाता है। मान लीजिये कि खनिज रोयल्टी, स्पेक्ट्रम रोयल्टी और सरकारी ज़मीन का किराया फरवरी-2019 के लिए 210,000 करोड़ रुपये है। तो इस क़ानून ड्राफ़्ट के अनुसार मार्च-2019 में 70000 करोड़ रुपये सेना को तथा शेष 140000 करोड़ रुपये भारत के 90 करोड़ नागरिकों के खाते में सीधे जमा किये जायेंगे। इस तरह मार्च-2019 में प्रत्येक व्यस्क भारतीय के खाते में 1550 रुपये जमा होंगे।

(b) लेकिन मानिये अगले महीने खनिज रोयल्टी, स्पेक्ट्रम रोयल्टी और सरकारी ज़मीन का किराया फरवरी-2019 के लिए 150,000 करोड़ रुपये है। तो प्रत्येक व्यस्क भारतीय के खाते में 1100 रुपये जमा होंगे।

(c) दूसरे शब्दों में खनिज रोयल्टी, स्पेक्ट्रम रोयल्टी एवं सरकारी भूमि का किराया प्रत्येक महीने भारत के प्रत्येक व्यस्क नागरिक के खाते में सीधे जमा होगा। लेकिन कोई निश्चित रकमकी गैरेंटी नहीं है। इस व्यवस्था के आने से सिर्फ़ 3-6 महीने के भीतर भारत में भुखमरी और गरीबी की समस्या कम हो सकती है.]

[टिप्पणी – 04 : यह क़ानूनी ड्राफ़्ट राजपत्र अधिसूचना के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा सीधे गेज़ेट में प्रकाशित किया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा की अनुमति आवश्यक नहीं है।

इस ड्राफ़्ट के 3 भाग हैं -

भाग -1 : नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश

भाग -2 : क़ानूनी ड्राफ़्ट का सारांश

भाग -3 : नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश और टिप्पणियाँ

महत्वपूर्ण खंड हैं-- (1.1) , (1.2) , (1.3) , (3.1) , (3.2) , (J.1) , (J.3.6),

भाग -1: नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश

(1) नागरिकों के लिए कुछ सामान्य निर्देश इस प्रकार है -

(1.1) इस कानून को प्रधानमंत्री द्वारा राजपत्र में छापने के दो महीनों के अन्दर भारत सरकार के पास (खनिज आमदनी + स्पेक्ट्रम आमदनी + भारत सरकारकी जमीनों का किराया) के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को भारत के समस्त नागरिकों की संख्या से विभाजित करने पर आपके हिस्से में आया पैसा (आप अर्थात् भारत के मतदाता) सीधे आपके बैंक खाते में जमा होगा।

(1.2) और अधिक स्पष्ट रूप से, भारत की केंद्र सरकार को होने वाली खनिज आमदनी, स्पेक्ट्रम आमदनी और केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहृत जमीनों के किराये का लगभग 65% हिस्सा भारत के नागरिकों में समान रूप से बांटा जायेगा। और हर महीने इस धनराशि को आपके बैंक खाते में सीधा जमा कर दिया जायेगा। शेष 35% हिस्से का उपयोग सिर्फ सेना में सुधार के लिए खर्च होगा।

(1.3) प्रत्येक नागरिक को मिलने वाला पैसा लगभग बराबर होगा, लेकिन इसमें अंतर हो सकता है, जो कि नागरिक की आयु, पुत्र और पुत्रियों की संख्या, शारीरिक या मानसिक विकलांगता आदि तत्वों पर निर्भर करेगा। यह कानून लागू होने के बाद नागरिक जितनी अधिक संतानें पैदा करता है उसे मिलने वाला पैसा उतना ही कम होता जायेगा। और कुछ मामलों में किसी एक राज्य में निवास कर रहे नागरिकों को अमुक राज्य के खनिज और जमीन से प्राप्त राशि में से अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन ये सभी नागरिकों को मिल रहे पैसे के दो-गुना से अधिक नहीं हो सकता। और ऐसे क्षेत्रों में जिनकी सीमा शत्रु देशों से लगी हो या सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को भी बंटने वाली राशि में अतिरिक्त पैसा मिल सकता है। लेकिन उपरोक्त अपवादों को छोड़कर अन्य सभी नागरिकों को केंद्र सरकार के पास आ

रहे पैसे में से बराबर हिस्सा मिलेगा।

(1.4) प्रधानमंत्री "राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी" (NLRO = National Land Rent Officer) पदनाम से एक अधिकारी नियुक्त करेंगे जो नीलामियों की प्रक्रिया स्थापित करेगा और आमदनी और किराया तय करने और उसे इकठ्ठा करने और इसका 65% हिस्सा भारत के सभी नागरिकों के खातों में बराबर रूप से जमा करने की अन्य प्रक्रियाएँ भी स्थापित करेगा। यदि आप भूमि किराया अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तो ये कानून आपको भूमि किराया अधिकारी पद के लिए पटवारी कार्यालय जाकर या एस .एम .एस के माध्यम से अधिकतम 5 प्रत्याशियों को अनुमोदित करने की अनुमति देगा। और आप किसी भी दिन अपना अनुमोदन निरस्त कर सकते हैं। बाद में कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आप प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 0 से 100 के बीच के अंक दे पाएँ। जब किसी प्रत्याशी के पास पदासीन भूमि किराया अधिकारी से अधिक अनुमोदन होंगे, केवल तब ही भूमि किराया अधिकारी को बदला जाएगा। इस तरह आपके पास राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी को बदलने की प्रक्रिया होगी।

(1.5) भूमि किराया अधिकारी के पास आमदनी और किराया तय करने, इकठ्ठा करने और आप सभी नागरिकों के बैंक खातों में जमा करने हेतु आवश्यक कर्मचारी होंगे। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत आती है तो अमुक जिले या राज्य या पूरे भारत से क्रमरहित तरीके से चुने हुए 25 से 1500 मतदाताओं की जूरी का चयन किया जायेगा। यह जूरी तय करेगी कि कर्मचारी निर्दोष है या नहीं और यदि वह दोषी है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा और क्या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए या नहीं। यदि आपका नाम क्रमरहित तरीके से चुने हुए इन 25 से 1500 मतदाताओं की सूची में आता है तो आपको (नागरिक को) इस जूरी सुनवाई में जाना पड़ेगा।

(1.6) यह कानून पानी या पानी के वितरण से मिलने वाली राशि पर लागू नहीं होगा।

(1.7) यह कानून ऐसा कोई वादा नहीं करता कि आपको प्रति महीने रु. 500 या रु.1000 या कोई स्थिर राशि प्राप्त होगी। यदि खनिजों / स्पेक्ट्रम का या

जमीनों का बाजार मूल्य बढ़ता है तो आमदनी और किराया बढ़ सकता है। लेकिन यदि खनिज आमदनी और किराया घटता है तो सभी नागरिकों की प्रति महीने आय भी घटेगी।

(1.8) यह कानून सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन आने वाली खनिज खदानों और स्पेक्ट्रम और केंद्र सरकार के अन्दर आने वाली जमीनों पर लागू होगा। अमुक कानून राज्य, नगरपालिकाओं और जिले / तहसील / ग्राम पंचायतों के अधिकार में आने वाली खदानों और जमीनों को शामिल नहीं करेगा। मुख्यमंत्री, महापौर और सरपंच राज्य / नगर / जिले / तहसील / गाँव अपने स्वामित्व की खनिज आमदनी / जमीनों के किराए से प्राप्त आय को अमुक राज्य / नगर / जिले / तहसील / गाँव के नागरिकों में बांटने का ऐसा ही कानून लागू कर सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

भाग -2 : कानूनी ड्राफ्ट का सारांश

(2) टिप्पणी :

(2.1) यह सारांश बाध्यकारी नहीं है। यह मात्र एक घोषणा है जो इस कानून के ढांचे को समझने की एक समीप दृष्टि देती है।

(2.2) इस कानून द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी नाम से एक अधिकारी नियुक्त कर पाएंगे। भारत के मतदाता "राईट टू रिकॉल राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी" सेक्शन में दी गयी धाराओं का प्रयोग करके इस अधिकारी को बदल सकते हैं।

(2.3) राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी सम्पूर्ण भारत में सभी खनिज खदानों की नीलामी करवाएगा और बैंड विड्थ बांटने की नीलामी भी आयोजित करेगा। वह केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली जमीनों के किराये के लिए भी नीलामी करवाएगा। वह इन जमीनों की रूप रेखा तैयार करेगा और इन सभी जमीनों पर लीज की लम्बाई तय करेगा।

(2.4) राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी जिसके पास खदाने या स्पेक्ट्रम या सरकारी जमीने लीज पर है, से आमदनी और किराया प्रति माह इकठ्ठा करेगा। किराया अधिकारी के पास जल संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं होंगे।

(2.5) किराया अधिकारी इकट्ठी की गयी राशि को भारत के सभी व्यस्क नागरिकों के बैंक खातों में प्रति महीने जमा करवाएगा। सभी नागरिकों को लगभग बराबर राशि मिलेगी लेकिन ये राशि व्यक्ति की आयु, उसके पुत्र या पुत्रियों की संख्या, विकलांगता आदि के आधार पर कम ज्यादा हो सकती है। वितरण अनुपात की जानकारी आगे की धाराओं में दी गयी है।

(2.6) यदि किराया अधिकारी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो क्रमरहित तरीके से चुने हुए 25 से 1500 मतदाताओं की जूरी ये तय करेगी कि क्या उस पर जुर्माना लगाना चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए या उसे कोई भी सजा नहीं देनी चाहिए।

भाग -3 : नागरिकों और अधिकारीयों के लिए निर्देश और टिप्पणियाँ

(3) भारत सरकार के अधिकार में आने वाले भू-खंडों का स्वामित्व

(3.1) भारत के नागरिक आई .आई .एम . अहमदाबाद के भू-खंड , सभी आई .आई .एम . के भू-खंड और जेएनयू के भू-खंडों को संयुक्त और समान रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्ति घोषित करते हैं। अमुक भू-खंड भारत की राज्य सरकार या भारत की केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी पक्ष / निजी पक्ष की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये भू-खंड भारत के नागरिकों की संपत्ति है। आगे, यूजीसी द्वारा पोषित सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों जिनका स्वामित्व निजी कंपनियों या ट्रस्टों के पास नहीं है, के सभी भू-खंडों को भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित किया जाता है। भारत के सभी अधिकारीयों, न्यायाधीशों, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी

न्यायाधीशों से निवेदन किया जाता है कि भारत के नागरिकों के इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी याचिका को स्वीकार ना करें।

(3.2) निम्नलिखित मंत्रालयों और विभागों के सभी भू-खंड राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आयेंगे :

- (1) विज्ञान, चिकित्सा, गणित और इंजीनियरिंग शिक्षण का कार्य कर रहे संस्थानों को छोड़कर सभी आई .आई .एम , यूजीसी द्वारा पोषित सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय।
- (2) एयरपोर्ट, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के स्वामित्व वाले सभी भव
- (3) पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय
- (4) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- (5) उपभोक्ता मामलें एवं लोक वितरण मंत्रालय
- (6) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- (7) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- (8) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (9) लघु उद्योग एवं कृषि एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय
- (10) सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय
- (11) कपड़ा उद्योग मंत्रालय
- (12) शहरी विकास एवं गरीबी उपशन मंत्रालय
- (13) युवा मामलें और खेल मंत्रालय
- (14) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
- (15) नीति आयोग

(3.2.1) राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी का निजी व्यक्तियों या कंपनियों या ट्रस्टों या राज्य सरकार या नगरों या जिलों के स्वामित्व वाले भू-खण्डों पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। उसके पास सेना, न्यायालयों, जेलों, रेलवे, बस स्टेशनों, कक्षा 12वी तक के सरकारी विद्यालयों और कर संग्रहण कार्यालयों द्वारा उपयोग किये जा रहे भू-खंडों पर भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

(3.3) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, आईआईएससी, विज्ञान और गणित महाविद्यालयों को

स्वास्थ्य मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या विज्ञान मंत्रालय जैसा प्रधानमंत्री तय करे, का अंग बनाया जायेगा। संबंधित मंत्री इन महाविद्यालयों में दिन-प्रतिदिन के संचालन हेतु अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। सभी महाविद्यालय जिनमें चिकित्सा, विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग का शिक्षण कार्य हो रहा है, वे भूखंड किराया अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे।

(4) भारत सरकार के स्वामित्व वाले भू-खण्डों से किराया इकट्ठा करना

(4.1) अनुपयोगी भूमि के लिए -- किराया अधिकारी अपनी समझ से अमुक भूमि को उचित माप के भू-खंडों में विभाजित करेगा। किराया अधिकारी हर भू-खंड के लिए नीलामी करवाएगा। नीलामी के लिए निम्नलिखित शर्तें होगी

- (1) लीज 5, 10, 15, 20 या 25 वर्षों की होगी। किराया अधिकारी इसमें से कोई अवधि तय करेगा। किन्तु लीज 25 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती।
- (2) बोली लगाने वाले मासिक किराये और लीज की अवधि के लिए बोलियां लगाएंगे जो कि अधिकतम लीज अवधि से कम हो सकती है। बोली का प्रारूप मासिक किराये, लीज महीने के अनुसार होगा। एक व्यक्ति एक से ज्यादा निविदा / बोली लगा सकता है। न्यूनतम लीज अवधि 12 महीने होनी चाहिए।
- (3) निविदा का भार मासिक_किराया / लॉग (मासिक_लीज) के अनुसार होगा। अर्थात जितना अधिक किराया उतना अधिक भार और जितनी लम्बी लीज, उतना कम भार।
- (4) निविदा सार्वजनिक रहेगी और सभी निविदाएँ सभी को दिखेगी।
- (5) किराया अधिकारी निविदाओं के भार के अनुसार भू-खंड देगा। [मासिक_किराया / लॉग (मासिक_लीज)]
- (6) किराया अधिकारी जमा राशि के रूप में 6 महीने का किराया या इसके समान राशि लेगा।
- (7) अमुक किरायेदार किसी भी दिन भूमि खाली करने के लिए और अदा किये जा रहे किराये को बंद करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(4.2) लीज अवधि के दौरान अमुक भू-खंड के आस पास के 1 वर्ग किमी क्षेत्र में

जमीन के दाम में प्रतिशत बदलाव और जिस दिन से अमुक भू-खंड लीज पर दिया गया है, से लेकर उस दिन तक जब किराये में संशोधन हुआ है, की प्रधान ऋण ब्याज दर में प्रतिशत बदलाव के आधार पर किराया अधिकारी हर 3 वर्ष में किराये का संशोधन करेगा।

(4.3) लीज अवधि समाप्त होने के बाद किराया अधिकारी एक नयी नीलामी करवाएगा, जिसमें कार्यरत लीज धारक को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ मिलेंगे।

- (1) उसका निविदा भार 1.1 से 1.5 से गुणा हो जायेगा जो इस पर निर्भर करेगा कि उसने कितने वर्षों तक किराया चुकाया है।
- (2) नीलामी समाप्त होने के बाद वह 3 महीने के अन्दर अपनी बोली बढ़ा सकता है।
- (3) कार्यरत लीज धारक को 20% से 50% तक का नए लीज धारक द्वारा चुकाया जा रहा 6 महीने का अग्रिम किराया मिलेगा जो निर्भर करेगा कि कितने महीनों के लिए उस कार्यरत लीज धारक ने जमीन ले रखी थी।
- (4) लेकिन यदि कार्यरत लीज धारक नीलामी से चूक जाता है, तब वह उस भूमि पर निर्मित संपत्ति को हटा सकता है या बेच सकता है। लेकिन उसे ये भूमि खाली करनी होगी।

(4.4) यदि अमुक भू-खंड किसी कार्यरत व्यक्ति या कंपनी ने ले रखा है तो उस व्यक्ति या कंपनी को 25% अधिक ($25\% \times \text{लीज महीनों में} / 300$) के साथ अधिकतम 50% तक का बोनस निविदा में प्राप्त होगा, अर्थात् उसकी निविदा 1.25 से 1.50 तक गुणीत हो जायेगी, लेकिन इससे अधिक नहीं।

(4.5) यदि अमुक भू-खंड वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है, तब किराया अधिकारी भू-खंड के आस पास के 1 किमी के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों की जमीन बिक्री के मूल्य का मध्यांतर निकालेगा और भूखंड की कीमत तय करेगा और अगले 10 वर्षों के लिए (बाजार मूल्य * प्रधान ब्याज दर / 3) के रूप में वार्षिक किराये को निर्धारित करेगा। किराया हर 3 वर्ष में संशोधित होगा। 10 वर्षों के बाद इस सेक्शन के खंड -1 और इसके आगे से बताये गए नियम लागू होंगे।

(4.6) किराया अधिकारी इकट्ठे हुए किराये का 34% रक्षा मंत्री को सेना मजबूत करने

और हथियार उपलब्ध करने और सभी नागरिकों को हथियार चलाने की शिक्षा देने के लिए देगा।

(4.7) किराया अधिकारी किराया और आमदनी को निम्न प्रकार से बांटेगा

- (1) किराया अधिकारी इकट्ठे हुए किराये का 33% हर महीने उन नागरिकों को भेजेगा जो पिछले 10 वर्षों से अमुक राज्य में निवास कर रहे हैं, पर इस किराये की सीमा पिछले वर्ष में भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगी।
- (2) किराया अधिकारी शेष किराया हर महीने भारत के नागरिकों को भेजेगा।

(4.8) इस कानून के पारित होने के 1 वर्ष के बाद, किसी नागरिक को प्राप्त होने वाला किराया इस प्रकार से बदलेगा :

- (1) यदि उसके पास (0 पुत्र), (0 पुत्र, 1 पुत्री), (0 पुत्र, 2 पुत्री) है, तब किराया 33% अधिक मिलेगा और उसके 60 वर्ष का होने के बाद उसे किराया 66% अधिक मिलेगा।
- (2) यदि उसके पास (1 पुत्र, 0 पुत्री), (1 पुत्र, 1 पुत्री), (1 पुत्र, 2 पुत्री) है, तब किराया 15% अधिक मिलेगा और उसके 60 वर्ष का होने के बाद उसे किराया 33% अधिक मिलेगा।
- (3) यदि उसके पास (2 पुत्र, 0 पुत्री), (2 पुत्र, 1 पुत्री) है, तब किराया में कोई बदलाव नहीं होगा - ना बढेगा और ना घटेगा।
- (4) यदि उसके पास (2 पुत्र, 2 पुत्री) या (3 पुत्र, 1 पुत्री) है, तब किराया 33% कम मिलेगा।
- (5) यदि उसके पास ऊपर दिए गए सभी मामलों से अधिक संताने हैं, तब उसे किराया 66% कम मिलेगा।
- (6) यहाँ, जुड़वाँ संतान एक संतान के रूप में गिनी जाएगी और गोद ली

गयी संताने नहीं गिने जाएगी।

(4.9) 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों और 55 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मिलने वाला किराया 33% अधिक होगा और 75 वर्ष से ऊपर के पुरुषों और 70 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मिलने वाला किराया 66% अधिक होगा।

(4.10) 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी किराया नहीं मिलेगा ; 7 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को मिलने वाला किराया सामान्य किराये का एक - तिहाई (33%) होगा और 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को मिलने वाला किराया सामान्य किराये का दो-तिहाई (66%) होगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मिलने वाला किराया उसकी माता को दिया जायेगा, जब तक कि जूरी किराया अधिकारी को उस बच्चे के पिता या किसी अन्य संबंधी को देने का आदेश नहीं करती या यदि माता जीवित नहीं है।

(4.11) आगे, यदि जूरी पाती है कि पति एक या उससे अधिक संतान की देखभाल अच्छे से नहीं कर रहा है, तब जूरी किराया अधिकारी को निर्देश कर सकती है कि पिता को मिलने वाले किराये का आधा भाग माता को दिया जाये। ऐसी स्थिति में किराया अधिकारी किराये का आधा भाग पिता को देगा और आधा भाग माता को।

(5) खनिज रॉयल्टी इकठ्ठा करना

(5.1) सभी विभागीय सचिव जो खदानों या कच्चे तेल के कुओं या खदानों या कच्चे तेल के कुओं से इकट्ठी होने वाली आमदनी के प्रभारी हैं, उन्हें इस आमदनी को किराया अधिकारी को भेजने का आदेश दिया जाता है।

(5.2) किराया अधिकारी प्राप्त खनिज रॉयल्टी एवं भूमि किराया सेना में, राज्यों में और भारत में निवास कर रहे नागरिकों में उसी समान अनुपात में बाँटेगा जैसा कि भूमि किराया वितरण से संबंधित खण्डों में वर्णित किया है।

(J) राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी के कर्मचारियों और निर्णयों पर जूरी सुनवाई

(J.1) जब भी कभी किराया अधिकारी या उसके अधिकारियों और लीज धारक या नागरिकों के बीच विवाद होता है, तब किराया अधिकारी या उसके अधिकारी उस मामले के निर्णय के लिए रैंडमली चुने 30-55 वर्ष की आयु के मध्य के 12 से 1500 नागरिकों की जूरी बुलाएगा। जूरी गठन के नियम इस सेक्शन में दिए गए हैं।

(J.2) किराया अधिकारी प्रत्येक जिले के लिए एक जिला जूरी प्रशासक, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य जूरी प्रशासक और भारत के लिए एक राष्ट्रीय जूरी प्रशासक नियुक्त करेगा।

(J.3) आमदनी या किराया या जमा राशि का विवाद सुलझाना

(J.3.1) किसी लीज धारक या नागरिक या किराया अधिकारी के अधिकारियों के मध्य का विवाद उस जिले में दर्ज होगा जहाँ प्रॉपर्टी स्थित है या नागरिक रहता है। यदि वांछित नागरिक या लीज धारक या अधिकारी स्थान का बदलाव उसी राज्य में स्थित किसी अन्य जिले में चाहते हैं तो वे राज्य जूरी प्रशासक या राज्य के हाई कोर्ट से आदेश प्राप्त कर सकते हैं। और यदि दोनों में से कोई भी स्थान का बदलाव उस राज्य के बाहर किसी अन्य जिले में चाहता है तब वे राष्ट्रीय जूरी प्रशासक या सुप्रीम कोर्ट से आदेश प्राप्त कर सकते हैं।

(J.3.2) जिले में हर विवाद के लिए जिला जूरी प्रशासक रैंडमली (क्रमरहित) 3 से 10 गणित, विज्ञान या इंजीनियरिंग में स्नातकों का चयन, मामले में सहायता देने के लिए तैयार स्नातकों की सूची से करेगा। चयनित इंजीनियरों की आयु 30 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके पास 5 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।

(J.3.3) जिला जूरी प्रशासक भारत की मतदाता सूची से रैंडमली (क्रमरहित) 30 वर्ष और 55 वर्ष के मध्य के मतदाता चुनेगा। चुना गया व्यक्ति पिछले 10 वर्षों में किसी भी जूरी में प्रस्तुत नहीं होना चाहिए और पूर्व में किसी भी अपराध में दोषी नहीं होना चाहिए।

(J.3.4) जूरी सदस्यों की संख्या :

- (1) जूरी सदस्यों की संख्या न्यूनतम 12 और अधिकतम 1500 होगी। जूरी सदस्यों की संख्या 12, 50, 200 या 500 तक हो सकेगी, तथा यह संख्या इस पर निर्भर करेगी कि क्या आरोपी कर्मचारी वर्ग-4, वर्ग-3, वर्ग-2 या वर्ग-1 का है।
- (2) यदि विवाद की राशि रु. 10 लाख से कम है तो जूरी का आकार 12 होगा, और प्रति रु.10 लाख के लिए एक जूरी सदस्य बढ़ा दिया जायेगा।
- (3) यदि शिकायत में राशि के साथ किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत भी शामिल है तो जूरी आकार का निर्धारण ऊपर बताये गए बिंदु (1) या (2) में से जो भी अधिक है, उसके अनुसार होगा।
- (4) जूरी का अधिकतम आकार 1500 होगा। .

(J.3.5) जूरी सदस्यों का स्थान : जूरी सदस्य उन जिलों से चयनित होंगे जहाँ की जिला अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई करने वाली जिला अदालत से जुड़ी हो। यदि वांछित जिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किसी अन्य जिले से नहीं जुड़ा है, तो सभी जूरी सदस्य उस जिले से होंगे जहाँ मामला दर्ज किया गया है।

(J.3.6) जूरी सदस्य दोनों पक्षों को 1-1 घंटे के लिए सुनेंगे। 65% से अधिक जूरी सदस्यों के ये कहने के बाद कि वे पर्याप्त सुन चुके, सुनवाई समाप्त हो जाएगी।

(J.3.7) यदि 75% से अधिक जूरी सदस्य कहते हैं कि अमुक कर्मचारी जिसके विरुद्ध शिकायत हुई है, को नौकरी से निकाल देना चाहिए तो किराया अधिकारी उसे निकाल सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यदि 75% से अधिक जूरी सदस्य जुर्माना लगाने पर सहमत होते हैं तो किराया अधिकारी आरोपी से बताया गया जुर्माना ले सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यदि अमुक शिकायतकर्ता को लगता है कि किराया अधिकारी ने जूरी सदस्यों के निर्णय को सही से निष्पादित नहीं किया है तो वह भारत के मतदाताओं से आगे के खंडों में दी गयी “ राइट टू रिकॉल राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी” प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा किराया अधिकारी को पद से हटाने के लिए मांग कर सकता है।

(J.3.8) जिला अदालत के जूरी सदस्यों के निर्णय के विरुद्ध याचना राज्य हाई कोर्ट के जूरी सदस्य या जजों के सामने की जा सकती है और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जूरी सदस्य या जजों के सामने की जा सकती है जैसा अन्य प्रचलित कानून तय करें।

(RTR) राईट टू रिकॉल राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी

(RTR.1) यदि भारत का कोई मतदाता राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी बनना चाहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से अपने जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हो सकता है। जिला कलेक्टर उससे सांसद के चुनाव में जमा होने वाली राशि के बराबर का आवेदन शुल्क लेकर राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी पद के लिए उसकी उम्मीदवारी स्वीकार करेगा और उसे एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा।

(RTR.2) कोई भी मतदाता पटवारी कार्यालय में 3 रु शुल्क देकर अधिकतम 5 उम्मीदवारों को राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। पटवारी उसके अनुमोदनो को कंप्यूटर में डालेगा और उस व्यक्ति का मतदाता पहचान पत्र संख्या, समय / दिनांक और उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के नामों को दर्ज करके एक रसीद देगा। पटवारी नागरिक द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के नाम प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर नागरिक के मतदाता पहचान पत्र संख्या के साथ रखेगा।

(RTR.3) यदि कोई मतदाता अपना अनुमोदन निरस्त करने आता है तो पटवारी उसके एक या अधिक अनुमोदन बिना कोई शुल्क लिए निरस्त कर देगा।

(RTR.4) यदि किसी उम्मीदवार को भारत के 43 करोड़ से अधिक मतदाताओं का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री सबसे अधिक अनुमोदन पाने वाले व्यक्ति को नए राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

(RTR.5) प्रधानमंत्री एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे नागरिक अपने अनुमोदन एस .एम .एस या एटीएम या मोबाइल फ़ोन एप्प के माध्यम से दर्ज / रद्द करवा सके।

(CV) जनता की आवाज (Citizen' s Voice):

(CV.1) यदि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता इस कानून की किसी धारा में बदलाव चाहता हो अथवा वह इस कानून से सम्बन्धित कोई शिकायत दर्ज करना चाहता हो तो ऐसा नागरिक मतदाता जिला कलेक्टर के कार्यालय में उपस्थित होकर एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है। जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस शपथपत्र को 30 रूपए प्रति पृष्ठ का शुल्क लेकर दर्ज करेगा तथा एक सीरियल नंबर जारी करके इस शपथपत्र को स्कैन करके अमुक मतदाता के छाया चित्र एवं अन्य विवरण के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर रखेगा।

(CV.2) किसी पटवारी कार्यालय के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता यदि इस विधेयक अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा ऊपर दिए खण्ड (CV.1) के तहत प्रस्तुत किसी भी शपथपत्र पर अपनी हाँ / नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर तलाटी के कार्यालय में जाएगा और उपलब्ध आवेदन पर शपथपत्र का सीरियल नंबर दर्ज करके अपनी हाँ / नहीं दर्ज करेगा। पटवारी 3 रूपए का शुल्क लेकर इस हाँ / नहीं को दर्ज करके एक रसीद जारी करेगा। मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ / नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर मतदाता के नाम, मतदाता पहचान संख्या, दिनांक एवं अन्य विवरणों के साथ रखा जाएगा। हाँ / नहीं की गिनती प्रधानमंत्री या किसी अधिकारी या अन्य पर बाध्यकारी नहीं होगी।

== खनिज रॉयल्टी नागरिकों,सेनाके खातेमें सीधा जमा करनेके ड्राफ्टका समापन==